न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 388/2013
CIS No. :– PS/388/2013

मोहित चौरसिया एवं अन्य बनाम् **सोना देवी एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
09.12.2021	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र दिनांक–05.02.2020 पर सुना गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2020 वादीगण की ओर से सूची के साथ दाखिल बैनामा दिनांकित 19.12.1995 को अभलेखावलित व प्रदर्श किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मैखिक कथन किया गया कि प्रलेख विलम्ब से प्रस्तुत किये गये हैं। अतः इसे आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित किया जाय। सुना एंव अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि वादीगण द्वारा सूची के साथ दाखिल बैनामा दिनांकित 19.12.1995 विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। बैनामा दिनांकित 19.12.1995 अभिप्रमाणित प्रतिलिपि हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत लोक दस्तावेज की श्रेणी में आती है। वादीगण द्वारा दाखिल प्रश्नगत प्रलेख वाद के निस्तारण में सहायक हो सकते हैं। विलम्ब की क्षतिपूर्ति हर्जे द्वारा की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2020 मु० 200/– रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा बैनामा दिनांकित 19.12.1995 अभिप्रमाणित प्रतिलिपि को अभिलेखावलित करते हुए इसे आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक उक्त प्रपत्र पर क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करे। अभिलेख वास्ते प्रतिवादीगण के बहस हेतु दिनांक– 05.01.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्यायालय कक्ष–4, नरकटियागंज।	